न्यायालय जिला कलक्टर , फलोदी

पीठासीन अधिकारीः— श्री हरजी लाल अटल (आई.ए.एस.)

पंचायत निगरानी संख्याः— 69 / 2024

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. महेन्द्र सिंह पुत्र श्री सुमेरसिंह 2. रविन्द्र सिंह पुत्र श्री सुमेरसिंह जाति राजपूत 3. मगसिंह पुत्र श्री हरिसिंह जाति रावणा राजपूत 4. लछमणराम पुत्र श्री गोरखाराम जाति भील निवासी चाखु तहसील घंटियाली जिला फलौदी		1. कैलाशसिंह पुत्र श्री नाथुसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी चाखु तहसील घंटियाली जिला फलौदी 2. सरपंच ग्राम पंचायत घंटियाली 3. सचिव / ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत चाखु, पंचायत समिति घंटियाली, तहसील घंटियाली जिला फलौदी

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतराज अधिनियम 1994 विरूद्ध आदेश आदेश ग्राम पंचायत चाखु द्वारा पट्टा संख्या 09 दिनांक 26.01.2003 जारी किया गया।

जिला कलक्टर फलोदी सत्यमेव जयते

उपस्थित वकील —:

अपीलाण्ट् की ओर से— अधिवक्ता श्री प्रवीण मदेरणा।

रेस्पोडेण्ट्स संख्या 01 ता 02 की ओर सेः— बावजूद सूचना गैर हाजिर।

रेस्पोडेण्टस संख्या 03 की ओर से :— स्वयं उपस्थित।

निर्णय

दिनांकः— 30/4/2025

1. निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 प्रार्थीगण की ओर से अप्रार्थीगण संख्या 01 के पक्ष में ग्राम पंचायत चाखु द्वारा जारी पट्टा संख्या 09 दिनांक 26.01.2003 के विरूद्व पेश की है।

2. अपील का संक्षिप्त सारांश इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के पूर्वजों / परिवार का कब्जा सुद भूखण्ड पर अप्रार्थीगण संख्या 01 के नाम से एक पट्टा जारी किया जाना बताया जिसका माप 150 वर्गमीटर है। जिसमें प्रार्थी ने निर्माण कार्य हेतु कार्य शुरू किया तो अप्रार्थी संख्या 01 ने सिविल न्यायालय में स्थगन का प्रार्थना पत्र पेश कर बताया कि उक्त भूमि का पट्टा मेरे स्वयं के नाम से जारी होना बताया जिसे पर पट्टे की प्रति प्राप्त कर निरस्त करवाने हेतु निगरानी याचिका आपके क्षेत्राधिकार में होने से अपीलांटगण ने अपील न्यायालय में पेश की है।

3. पत्रावली जरिये अधिवक्ता श्री प्रवीण मदेरणा के द्वारा धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 के तहत पेश की गई जिसे जांच उपरान्त दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये। प्रार्थी अधिवक्ता ने अप्रार्थीगण को भेजे गये सम्मन की डाक रसीदे एवं ट्रेकिंग रिपोर्ट पेश की जो शामिल पत्रावली की

जिला कलक्टर फलोदी

गई। अप्रार्थी संख्या 01 नोटिस प्राप्त होने के बावजूद न्यायालय में अनुपस्थित रहें। अवसर दिया जाने पर भी अनुपस्थित रहने पर अप्रार्थी संख्या 01 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। ग्राम विकास अधिकारी, चाखु, पंचायत समिति घंटियाली से मूल रेकर्ड तलब किया गया। जो प्राप्त हुआ, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। जिस पर प्रार्थीगण निगरानी प्रार्थना पत्र पर बहस करने का निवेदन किया जिसे अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा स्वीकार किया गया। तत्पश्चात पत्रावली को बहस हेतु नियत किया गया।

4. अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी विचाराधीन पट्टा विधि विरूद्व जारी किया गया है। ग्राम पंचायत चाखु के तत्कालीन सरपंच द्वारा जारी पट्टा संख्या 09 को सरपंच अकेले द्वारा जारी किया गया है। विचाराधीन पट्टे की प्रति से साफ जाहिर है कि ग्राम पंचायत में उक्त पट्टा जारी नही किया गया है, न ही पट्टे की प्रक्रिया पूरी की गई है। सरपंच अकेले ने हस्ताक्षर करके जारी पट्टा विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य है। उपरोक्त पट्टे के संबध में न तो ग्राम पंचायत में आवेदन किया गया, न ही ग्राम पंचायत में आवेदन शुल्क रूपये 25/– जमा करवाये, न ही मौका कमेटी गठित की गई और न ही मौका फीस रूपये 25/– ली गई। उक्त पट्टा के संबध में कोई उजर एतराज नहीं सुना गया सरपंच अकेले ने बिना प्रक्रिया किये राजनैतिक चेहते को पट्टा जारी कर दिया, जो निरस्त योग्य होने से निरस्त किया जावे। उक्त भूखण्ड का कब्जा प्रार्थी संख्या 01 व 2 के परिवार का है एवं वर्तमान में उक्त कब्जा प्रार्थी के पास है। इसलिए उक्त पट्टा खारिज फरमाया जावे।

5. प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात एंव विकास अधिकारी चाखु से प्राप्त मूल रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत दस्तावेजात एवं तर्को पर विचार मनन किया गया। प्रकरण में निगरानीधीन पट्टा संख्या 09 दिनांक 26.01.2003 एवं सम्बन्धित मिसल के सावधानी पूर्वक अवलोकन से प्रकट होता है कि अप्रार्थी संख्या 01 के द्वारा दिनांक 26.01.2003 को ग्राम पंचायत चाखु में आबादी भूमि का पट्टा लिये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया है। दिनांक 26.01.2003 को ही पट्टा कमेटी द्वारा भूखण्ड का निरीक्षण किया गया एवं इसी तिथि को प्रस्ताव संख्या 22 के क्रम पर पट्टा दिया जाने का निर्णय सर्वसहमति से दिया जाना प्रदर्शित होता है। विवादित पट्टा राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के नियम 158(1) के तहत जारी किया गया है। उक्त नियम 158 (1) के तहत भूमियां कमजोर वर्गो को आवंटन पंचायत, गांव आवंटितियों में 300 वर्गगज तक की आबादी भूमि अनुसूचित जातियों , स्वच्छकारों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ें वर्गो के सदस्यों, गांव कारीगरों श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन व्यक्तियों, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में चयनित परिवारो, विकलागों, यायावर जनजातियों, गाड़ियों लुहारों को जिनके पास स्वयं के गृहस्थल/गृह नही है, और ऐसे बाढ़ग्रस्तों को भी जिनके गृह बह गये हैं या गृह या गृह स्थल बाढ़ के कारण भावी निवास हेतु अयोग्य हो गये है, रियायती दरों पर आवंटित कर सकेगी। प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक द्वारा न तो आवेदन में यह स्पष्ट किया गया है कि वह उक्त श्रेणी में से किस श्रेणी में कमजोर वर्ग का आवेदक है तथा न ही ग्राम पंचायत द्वारा

जिला कलक्टर
फलौदी

उक्त श्रेणी में से किस श्रेणी में कमजोर वर्ग का आवेदक है तथा न ही ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदन में ऐसे किसी तथ्य का अंकन किया है। आवेदक के भूमिहीन होने की स्थिति भी अभिलेख से सिद्व नहीं होती है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थना पत्र प्राप्ति की तिथी को ही भूखण्ड आवंटन की कार्यवाही करना एवं कमेटी द्वारा प्रस्ताव लेकर आवेदन का निर्णय करना इत्यादि सम्पूर्ण कार्यवाही की गई है। पंचों की मौका निरीक्षण रिपोर्ट भी मिसल में उपलब्ध नहीं है। केवल सरपंच के हस्ताक्षर है। रिकार्ड से यह भी सिद्व नहीं होता है कि आवेदक द्वारा आवेदन शुल्क, मौका निरीक्षण फीस व नक्शा राशि तथा नियम 158 (2) के अनुसार 2/– प्रति वर्गमीटर वसूल कर पंचायत कोष में जमा की गई है। इस प्रकार विवादित पट्टा एवं भूमि विक्रय विलेख बाबत ग्राम पंचायत द्वारा की गई कार्यवाही नियमित, औचित्यपूर्ण व विधिक नहीं मानी जा सकती है। उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन एवं विवेचन से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा की गई कार्यवाही राजस्थान पंचायती राज अधिनियम व राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। न तो प्रार्थी की पात्रता का समुचित परीक्षण किया गया है और न ही निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया है। अतः ग्राम पंचायत का प्रश्नगत निर्णय व पट्टा निरस्त करते हुए पत्रावली विकास अधिकारी को प्रतिप्रेषित की जाकर निर्देश दिए जाते है कि प्रकरण में ग्राम पंचायत के सम्पूर्ण अभिलेख का परीक्षण व जांच करें एवं अप्रार्थी के नियम 158 के तहत पात्रता पाए जाने की स्थिति में भूखण्ड आवंटन की विधिसम्मत कार्यवाही 3 माह की अवधि में सुनिश्चित करावें।

6. पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली नंबर से कम हो। मूल रिकार्ड ग्राम पंचायत चाखु को पुनः लौटाया जावे।

7. निर्णय आज दिनांक 30/04/2025 सरेइजलास सुनाया गया।

जिला कलक्टर फलौदी सत्यमेव जयते

30/04

हरजी लाल अटल
(आई.ए.एस.)
जिला कलक्टर फलौदी

जिला कलक्टर फलौदी